बिहार सरकार
बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी
(ग्रामीण विकास विभाग)

दिनांक-:-11/04/2022

प्रेषक,

सी०पी०खण्डूजा,
आयुक्त मनरेगा-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार।

विषयः **मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 25 के संबंध में।**

प्रसंग: **ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक J-11060/7/2022-RE-VI (378747), दिनांक 24.01.2022।**

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा स्मारित कराया गया है की मनरेगा अधिनियम 2005 के प्रभावी रुप कार्यान्वयन नहीं किये जाने की स्थिति में मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा-25 में स्पष्ट उल्लेखित है "जो कोई इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह दोषसिद्धि पर जुर्माने का, जो एक हजार तक का हो सकेगा, दायी होगा।" इस धारा से अभिप्राय यह है की जो कोई भी मनरेगा अधिनियम 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, वह जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा।

अतः उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है की जिले अंतर्गत मनरेगा के क्रियान्वयन प्रावधानों के अनुसार किये जाने के संबंध में सभी संबंधित कर्मियों/पदाधिकारियों को निदेशित करे एवं इसका सतत अनुश्रवण करे। साथ ही अगर ऐसा पाया जिला/प्रखण्ड स्तर पर उक्त का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो, ऐसी स्थिति में मनरेगा अधिनियम 2005 के धारा 25 के संदर्भ में संबंधित कर्मी/पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करना सुनिश्चित करे एवं किये गये कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराय।

अनुलग्नक: **यथोक्त।**

Signed by C P Khanduja
Date: 11-04-2022 22:30:19
Reason: Approved

विश्वासभाजन

(सी०पी०खण्डूजा)
आयुक्त, मनरेगा-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. सभी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

File No. J-11060/7/2022-RE-VI (378747)
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
(Mahatma Gandhi NREGA)

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated: 24th January, 2022

To

The Addl. Chief Secretary/Pr.Secretary/Secretary/Commissioner,
Rural Development & Panchayati Raj Department
(In –charge of Mahatma Gandhi NREGS)
All States/UTs (Except Delhi & Chandigarh)

Subject: The provision of Section 25 of the Act-reg.

Madam/Sir,

Undersigned is directed to reiterate the provision of Section 25 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (Act) which says

"Penalty for non-compliance.-Whoever contravenes the provisions of this Act shall on conviction be liable to a fine which may extend to one thousand rupees"

The provision under this section says that whoever contravenes the provisions of this Act shall be liable for a fine.

States are requested to sensitise the functionaries that any arrangement made for the proper execution of the Scheme has to be implemented in letter and spirit, failing which necessary action as per Section 25 of the Act may be taken up against the defaulting officials engaged in the implementation of Mahatma Gandhi NREGS in the State.

This issues with the approval of competent authority.

Yours faithfully

(Dharmvir Jha)
Director (Mahatma Gandhi NREGA)

Copy to:
PS to HMRD/HMOS(RD)
PPS to SRD